संख्या-06/2020/2652/71-2-2019-05/2019

प्रेषक,

अमित सिंह बंसल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 15 जनवरी, 2020

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में संस्थान के अन्य आवश्यक व्ययों के वहन हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-पी0जी0आई0/लेखा/2157/2019, दिनांक 01-11-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में संस्थान के आकस्मिक व्यय मद में आवंटित धनराशि के सापेक्ष अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है। शासनादेश संख्या-38/2019/744/71-2-2019-05/2019, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा संस्थान के कार्मिकों के वेतन भत्ता एवं अन्य आवश्यक व्ययों के वहन हेतु गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 10000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में लेखा शीर्षक-2210-05-105-03-0209- संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 10000.00 लाख (रूपये एक अरब मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय प्रदान करते है।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैक में नहीं रखी जायेगी।

4-स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

5- वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1/170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।

7- धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1362/दस-2019, दिनांक 09 जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अमित सिंह बंसल)
विशेष सचिव।

संख्या-06/2020/2652(1)/71-2-19-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।